

20/6/24

अभिलेख अध्यापिका प्रथम पक्ष के सफल
सद. 03, एवं 05 उपस्थित। प्रथम पक्ष की ओर
से 20 मिनट 50 की द्वारा 188 के तहत आवेदन
प्राप्त।

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित।

अभिलेख दिनांक 03/07/24 को
देखा।

03/07/24

अभिलेख उपस्थित।

~~प्रथम पक्ष~~

उभय पक्ष के सभी सदस्य न्यायालय
में उपस्थित।

दोनों पक्षों के द्वारा एक

संयुक्त सुनवाई नामा / समझौतानामा प्रस्तुत
किया गया। इस समझौतानामा पर
उभय पक्ष के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर है।

इस दो पक्ष के समझौता
नामा को [प्रदर्श A] के रूप में
रेकॉर्ड में संलग्न किया गया है।

उक्त समझौतानामा के आधार पर वार्ड को
समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः इस वार्ड में निर्गत विवेचना
को वलपस किया जा रहा है, तथा उभय पक्ष के
अनुरोध पर वार्ड को समाप्त किया जा रहा है।

03.07.2024

03.07.2024

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

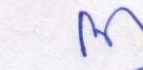
03.07.2024 - आदेश से उमय पत्र को
अवकाश करायें।

आदेश की प्रति थाना एवं शंखल
को भेजें, तथा आदेश के साथ
[समर्थननामा] की प्रति भी
था एवं शंखल कार्यालय को भेजें।

लेखापत्र एवं संशोधन-


03.07.2024

अनुमंडल दंडाधिकारी
बगोदर सीमा,
गिरडीह,


03.07.2024

अनुमंडल दंडाधिकारी
बगोदर सीमा,
गिरडीह,